न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :– 12.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 51/2026

सीआईएस नं. 912/2016

CNR No. RJBR020009642016

एफआईआर सं. 212/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

PART- I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. लेखराज उर्फ मोटा पुत्र प्रहलाद निवासी हाथी दीलोद थाना मोठपुर जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागर

B

अपराध की दिनांक		12.06.2016
एफआईआर की दिनांक		12.06.2016
आरोप पत्र की दिनांक		27.07.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		09.11.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		12.06.2025
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		12.03.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		12.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	12.03.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	लेखराज उर्फ मोटा	12.06.2016	13.06.2016	4/25 आर्म्स एक्ट	दोषसिद्ध	पैरा 21 के अनुसार	12.06.2016 से 13.06.2016 27.10.2023 से 01.11.2023

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	रामनिवास	ताईद चश्मदीद वाका
PW2	सियाराम	ताईद चश्मदीद वाका
PW 3	धर्मपाल	ताईद फर्द जप्ती, चैकिंग, गिरफ्तारी व नक्शा मौका
PW 4	रामप्रसाद नागर	हालात तफ्तीश

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 12.06.25 PW1, PW2, PW3	फर्द जप्ती
2	Ex P2 12.06.25 PW1, PW2, PW3	फर्द गिरफ्तारी
3	Ex P3 12.06.25 PW1, PW2, PW4	नक्शा मौका
4	Ex P4 03.10.25 PW3	चाक एफआईआर
5	Ex P5 03.10.25 PW3	रपट रवानगी की प्रमाणित प्रति
6	Ex P6, Ex P6a 03.10.25 PW3	माल चिट व कार्बन प्रति
7	Ex P7, Ex P7a 06.03.26 PW4	असल मालखाना रजिस्टर व उसकी फोटोप्रति

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	आर्टिकल 01		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना सदर बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.06.2016 को धर्मपाल हैडकानि. थाना बारां सदर ने फर्द चैकिंग एवं जप्ती मय माल मुल्जिम के इस आशय की लाकर पेश की कि मन् धर्मपाल हेड कानि. मय हमराही जाप्ता निजी मोटरसाईकिलों के वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध कार्य जुआ, सट्टा शराब व हथियार हेतु मय अनुसंधान सामग्री के थाने से 3.35 पीएम पर बजानिब पाठेडा, आकेडा, नारेडा की ओर रवाना हो गश्त व चैकिंग अवैध कार्य मौजा पाठेडा आकेडा करता हुआ आकेडा की झोपडियां पहुंचे जहां जर्ये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी धारदार तलवार लेकर नारेडा अटल सेवा केंद्र के सामने रोड पर घूम रहा है। इस सूचना पर सांकेतिक स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए मिला जिसे 4.20 पीएम पर डिटेन किया जिसके हाथ में तलवार व अन्य तलाशी लेना आवश्यक समझा। आस–पास दो स्वतंत्र गवाह की तलाश की तो पुलिस पेचीदगी के कारण कोई गवाह बनने को तैयार नहीं होने पर जाप्ता में से रामनिवास व सियाराम को गवाह मामूर कर डिटेनशुदा व्यक्ति का नाम पता पूछा व चैक किया तो उसने अपना नाम लेखराज उर्फ मोटा होना बताया और चैक किया तो दाहिने हाथ में एक धारदार लोहा तलवार मिली जिसका नाप कि तो फल की लंबाई 27 1/2 इंच व हत्था की लंबाई 4 इंच हुई तथा कुल लंबाई 31 1/2 इंच हुई। इस प्रकार गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ती के अनुसार अधिक नाप का धारदार हथियार होना धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होने से तलवार को बतौर वजह सबूत जप्त कर चिट चस्पा किया व मुल्जिम लेखराज उर्फ मोटा को जर्ये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया जाकर हिरासन पुलिस में लिया गया। बाद मौका की कार्यवाही थाना रवाना हुए।................इत्यादि।

3. उक्त फर्द चैकिंग एवं जप्ती के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 212/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में फर्द जप्ती साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, नक्शा मौका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.06.2016 को समय 4.35 पीएम पर पुलिस ने दौराने गश्त एवं चैकिंग मिली मुखबिर की सूचना पर अटल सेवा केंद्र नारेडा के सामने रोड पर आपके दाहिने हाथ से एक तलवार बरामद की जिसके फल की लंबाई 27.5 इंच, हत्थे की लंबाई 4 इंच तथा कुल लंबाई 31.5 इंच थी, जिसे अपने कब्जे में रखने बाबत् आपके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 रामनिवास ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.06.2016 को वह थाना बारां सदर बारां पर कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्री धर्मपाल हेड साहब के साथ वह व श्री सियाराम कांस्टेबल निजी मोटरसाइकिलों से चैकिंग अवैध कार्य व जुआ सट्टा, शराब अवैध हथियार हेतु थाने से 03. 35 पी एम पर रवाना होकर गश्त इलाका ग्राम पाठेडा, आखेडा करते हुए आखेडा की झोपडियां पहुंचे जहां पर हैड साहब को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति नारेडा अटल सेवा केंद्र के सामने हाथ में नंगी तलवार लेकर घूम रहा है। हेड साहब ने सूचना से उन्हें अवगत कराया। सूचना पर रवाना होकर नारेडा अटल सेवा केंद्र के सामने पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर खडा था जिसको डिटेन किया। तलाशी आवश्यक होने से तलाशी हेतु आवश्यक आने जाने वाले लोगों से पूछा तो पुलिस पेचीदगी के कारण किसी ने गवाह बनने की सहमति नहीं दी ना ही अपना नाम पता बताया। उक्त पर हेड साहब ने उसे व श्री सियाराम कांस्टेबल को गवाह मामूर कर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लेखराज उर्फ मोटा पुत्र प्रहलाद मोग्या होना बताया जिसकी तलाशी तो दाहिने हाथ में एक तलवार मिली जिसका नाप किया तो फल की लंबाई 27.5 इंच व हत्थे की लंबाई 4 इंच होना पायी गयी। उक्त लेखराज से हथियार

रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो कोई अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। मौके पर ही तलवार को जरिये फर्द जब्त किया। मुल्जिम को गिरफतार किया। फर्द जब्ती तलवार प्रदर्श पी 1, फर्द गिरफतारी मुल्जिम प्रदर्श पी 2 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो रामप्रसाद हेड कांस्टेबल द्वारा बनाया गया।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि बरामदशुदा माल आज न्यायालय के समक्ष नही है। प्रदर्श पी 1 धर्मपाल हेड कांस्टेबल की कलमी है। वे दो मोटरसाइकिलों से जा रहे थे। वह और सियाराम एक मोटरसाईकिल पर व हेड साहब अलग मोटरसाईकिल पर थे। मुखबिर की सूचना हेड कांस्टेबल को मौखिक प्राप्त हुई थी। हेड साहब ने उन्हें बताया कि अटल सेवा केंद्र के सामने एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर खडा हुआ है। मुखबिर की सूचना करीब 4 बजे प्राप्त हुई थी। वे 10.15 मिनट बाद मौके पर पहुंच गए थे। जब वे 10.15 मिनट बाद पहुंचे तब भी वो व्यक्ति वही खडा हुआ था जहां की सूचना मुखबिर ने दी थी। नाप तौल हेड साहब ने किया था। वह गवाह ढूंढने नही गया केवल आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाह बनने के लिए कहा था। आज वह नही बता सकता कि कार्यवाही के समय अटल सेवा केंद्र का ऑफिस खुला हुआ था या बंद था। उन्होंने अटल सेवा केंद्र पर जाकर गवाह बनाने का प्रयास नही किया। मुल्जिम दाहिने हाथ में तलवार लेकर खडा होने वाली बात मैने पुलिस बयान में लिखाई थी। मौके पर आने जाने वाले आस पास के व्यक्ति थे। वे मुल्जिम को पहले से नही जानते थे। मुखबिर ने हेड साहब को उक्त व्यक्ति के हुलिया बाबत बताया या नहीं, उसको जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त हथियार कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर नहीं किया, चिठ चस्पा किया था। यह कहना गलत है कि चिठ हथियार पर धागे से बांधा हो बल्कि गोंद से चिपकाया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1, प्रदर्श पी 2, प्रदर्श पी 3 पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाये। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नही गया होउं। यह कहना भी गलत है कि उक्त फर्दों पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किये हो।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 सियाराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.2016 को पुलिस थाना बारां सदर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्री धर्मपाल जी हैडकांस्टेबल ने उसे और रामनिवास हैडकांस्टेबल को समय 03.35 पीएम पर करने अवैध वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध जुआ सटटा एवं बदमाशान हेतु मय अनुसंधान सामिग्री के रवाना होकर में मोटरसाइकिल से आकेडा पाठेडा नारेडा की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वे आखेडा की झोपडिया पहुंचे तो वहां जरिये मुखबिर हैड साहब को

सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में अवैध नंगी तलवार लेकर नारेडा अटल सेवा केन्द्र के सामने रोड पर घूम रहा है। उक्त सूचना पर वे सांकेतिक स्थान पर मय जाब्ते के साथ पहुंचे। जहां एक व्यक्ति जिसके दांये हाथ में तलवार लिये हुए मिला। जिसे जाब्ते की मदद से डिटने किया। उसकी तलाशी लिया जाने हेतु आसपास स्वतंत्र गवाह तलाश किये किन्तु कोई भी कानूनगी पेचीदगियों के कारण गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस पर हैड साहब ने उसे और श्री रामनिवास कांस्टेबल को गवाह मामूर किया एवं उक्त व्यक्ति का हैड साहब ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लेखराज उर्फ मोटा होना बताया। तलाशी के दौरान दांये हाथ में एक धारदार लोहे की तलवार मिली। उक्त तलवार का मौके पर ही नाप की तो फल की लंबाई 27.50 इंच और हत्थे की लंबाई 04 इंच कुल लंबाई 31.50 इंच होना पायी। तलवार को मौके पर ही बतौर वजह सबूत जब्त कर चिट चस्पा किया और तलवार को अपने कब्जे लिया। लेखराज से तलवार रखने बाबत अनुज्ञापत्र होना चाहा तो उसने नहीं होना बताया। मौके पर ही लेखराज को जर्ये फर्द गिरफतार किया। फर्द जब्ती तलवार प्रदर्श पी 01, फर्द गिरफतारी मुलजिम प्रदर्श पी 02 जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल मुलजिम के थाना आ गये। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं, जो रामप्रसाद हैडकांस्टेबल के द्वारा बनाया गया।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वे थाने से मोटरसाइकिलों से रवाना हुए थे। आज उसे ध्यान नहीं है कि उसके साथ मोटरसाइकिल पर कौन था। आज उसे रवानगी रपट संख्या याद नहीं है। आज उसे ध्यान नहीं है कि उन्होंने उस दिन कितने व्यक्तियों को चौक किया। अजखुद कहा कि कोई संदिगध नहीं दिखा। हैडसाहब को मुखबिर से सूचना मिली थी फिर हैडसाहब ने उनको मुखबिर की सूचना से अवगत नहीं कराया। तलवार जंग लगी हुई नहीं थी। जब्तशुदा तलवार के फल की चौडाई आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि दौराने कार्यवाही व्यक्ति आ–जा रहे थे। यह कहना सही है की आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर फर्द प्रदर्श पी 01 पर नहीं करवाये। तलवार को मौके पर सील मोहर नहीं किया था। केवल सीलशुदा चिट चस्पा की थी। यह कहना गलत है कि फर्दो पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किये है। वह आज कार्यवाही स्थल के सभी दिशाओं की तरफ क्या था आज वह यह नहीं बता सकता।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 धर्मपाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.2016 को थाना बारां सदर में हैडकांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय करीबन 3.30 पीएम पर मुताबिक निर्देश थानाधिकारी के वास्ते गश्त एवं चैकिंग

अवैध कार्य हेतु वह निजी मोटरसाइकिल जाब्ते सहित सियाराम कांस्टेबल व रामनिवास मय अनुसंधान बॉक्स रवाना होकर गश्त आखेडा पाठेडा करता हुए आखेडा की झोपडिया पर पहुंचा वहां पर जरिये मुखबिर सूचना नारेडा के राजीव गांधी सेवा केन्द्र के सामने हाथ में नंगी तलवार लेकर घूम रहा है जिस पर सूचना से जाप्ते मिली की एक व्यक्ति को अवगत करवाकर सांकेतिक स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर घूम रहा था जिसे जाब्ता की मददे से पकडा व नाम पता पूछा तो अपना नाम लेखराज उर्फ मोटा होना बताया। उसकी चैकिंग हेतु आसपास स्वतंत्र गवाह तलाश किये किन्तु कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस पर जाब्ते में रामनिवास व सियाराम को गवाह मामूर कर लेखराज उर्फ मोटा को चैक किया तो उसके दाहिने हाथ में एक धारदार लोहे की नंगी तलवार मिली। मौके पर फल की लंबाई 27.50 इंच, हत्था की 4 इंच कुल लंबाई 31.50 इंच थी। उसको रखने बाबत अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। मौके पर तलवार को जब्त कर चिट चस्पा किया व मुलजिम को लेखराज को जरिये फर्द गिरफतार किया। फर्द जब्ती तलवार प्रदर्श पी 01 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर अभियुक्त लेखराज की अंगूठा निशानी है व वाई स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। फर्द गिरफतारी मुलजिम लेखराज प्रदर्श पी 02 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल मुलजिम के थाने आया। थाने आकर माल को जमा मालखाना करवाया। मुलजिम को बंद हवालात कर उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया। प्रदर्श पी 01 पर पुनः ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। रपट रवानगी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में अभियुक्त से जब्तशुदा तलवार न्यायालय में पेश की गयी। जिस पर धागे से माल चिट बंधी हुई है। गवाह ने तलवार को देखकर बताया कि तलवार आर्टीकल 01 वही तलवार है जो मौके पर अभियुक्त के कब्जे से जब्त की थी। माल चिट प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है व वाई स्थान पर अभियुक्त की अंगूठा निशानी है। जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी 06 ए है, जो शामिल पत्रावली है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जब उसने तलवार जब्त की थी तब जंग लगा हुआ नहीं था। यह कहना सही है कि माल आज उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में उसने मालखाना में जमा किया था। यह कहना सही है कि तलवार पर पैंट वगैरह से मुकदमा संख्या अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि माल पर चिट चस्पा न होकर धागे से बंधा हुआ है। इस संभावना से इंकार

नहीं किया जा सकता कि चिट को खोलकर अन्य माल पर भी लगाया जा सकता है। यह कहना सही है कि आज तलवार पर धार नजर नहीं आ रही। यह कहना सही है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 में थाने से रवानगी रपट संख्या अंकित नहीं है। आज उसे उस दिन थाना इंचार्ज कौन था नाम याद नहीं है। वह मुलजिम को पूर्व में नहीं जानता था। मुखबिर ने उसे मौखिक सूचना दी थी। यह कहना सही है कि मुखबिर ने मुलजिम की कोई विशिष्ट पहचान नहीं बतायी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01, 02, 03 पर आने जाने वाले किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये। जब्तशुदा तलवार कितने फीट की थी वह नहीं बता सकता अजखुद कहा कि 31.50 इंच थी। बरामदगी स्थल पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बना हुआ था उसके अलावा जंगल टाइप था। उन्होंने राजीव गांधी सेवा केन्द्र में भी किसी सरकारी कर्मचारी को गवाह बनने के लिए नहीं कहा। यह कहना गलत है कि उन्होंने अभियान के तहत यह मुकदमा बनाया हो।

15. गवाह पी0डब्ल्यू—04 रामप्रसाद नागर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.2016 को थाना बारां सदर में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। वह मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्री धर्मपाल हैड कांस्टेबल द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा अवैध धारदार नंगी तलवार उसे मालखाना में जमा करने हेतु सुपुर्द की। जिसे उसने मालखाना रजिस्टर क्रमांक 274/2014 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मुकदमे की इबारत अंकित है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 07ए है शामिल पत्रावली है। उक्त फर्द जप्ती पर आईसी थाना द्वारा मुकदमा नंबर 212/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया। दौराने अनुसंधान, बयानात गवाहान धर्मपाल एचसी, रामनिवास, सियाराम के उनके कहेनुसार लेखबद्ध किए। घ टनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। धर्मपाल एचसी जाप्ते की नकल रपट रवानगी की प्रमाणित प्रति, राज्य सरकार की अधिसूचना की प्रमाणित प्रति लेकर शामिल पत्रावली की। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम लेखराज उर्फ मोटा के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा प्रमाणित माना गया।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जो तलवार उसके द्वारा मालखाना में जमा की गई थी, वो शील्डशुदा नहीं थी। यह कहना सही है कि पत्रावली में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। धारा 41ए सीआरपीसी का नोटिस नहीं दिया। यह कहना सही है कि जप्तशुदा तलवार आज उसके समक्ष नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल के आस पास अटल सेवा केन्द्र व मकान बने हुए है। उस समय अटल सेवा केन्द्र में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। य

हकहना सही है कि उसने जाप्ता द्वारा मौके पर कार्यवाही करने हेतु रोजनामचा रिपोर्ट के अलावा कोई तकनीकी सावय एकत्रित नहीं किए। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 07 पर माल जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिम को अभियान के तहत झूठा फंसाया हो।

17. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में धर्मपाल मय जाप्ता के द्वारा प्रदर्श पी 01 के माध्यम से कार्यवाही की जाते हुए दिनांक 12.06.2016 को मुल्जिम के कब्जे से एक तलवार बिना अनुज्ञापत्र के बरामद करते हुए व मुल्जिम को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में धर्मपाल गवाह पी.डब्ल्यू–03 के रूप में परीक्षित होते हुए मुख्य परीक्षण में धारदार तलवार मुल्जिम के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र के बरामद कर चिट चस्पा करने व प्रदर्श पी 01 के माध्यम से जप्त करने व मुल्जिम को प्रदर्श पी 02 के माध्यम से गिरफ्तार करते हुए चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04, रपट रवानगी प्रदर्श पी 05, माल चिट प्रदर्श पी 06 व उसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी 06ए पर उसके हस्ताक्षर होते हुए आर्टिकल तलवार 01 को प्रदर्शित करवाते हुए उक्त फर्दात की ताईद व कार्यवाही करने की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार फर्द जप्ती के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–01 रामनिवास के द्वारा भी अपने बयानों में दिनांक 12.06.2016 को मुल्जिम के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र तलवार प्रदर्श पी 01 के माध्यम से बरामद करने व मुल्जिम को प्रदर्श पी 02 के माध्यम से गिरफ्तार कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाने के बाबत् साक्ष्य देते हुए सारी कार्यवाही मौके पर करते हुए उक्त कार्यवाही किए जाने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार फर्द जप्ती का अन्य गवाह सियाराम पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होते हुए प्रदर्श पी 01 के माध्यम से तलवार मुल्जिम के कब्जे से बरामद करने व मुल्जिम को प्रदर्श पी 02 के गिरफ्तार करते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 को प्रदर्शित करवाते हुए उक्त फर्दात की ताईद करते हुए कार्यवाही करने की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार गवाह धर्मपाल, रामनिवास व सियाराम के बयानों से फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01 की ताईद पूर्ण रूप से होना प्रकट होती है तथा उक्त प्रकरण में साक्ष्य के दौरान मुल्जिम की ओर से माल के संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इसी प्रकार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी रामप्रसाद नागर पी.डब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित होते हुए गवाहान के बयान लेखबद्ध करने, नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 व जाप्ते नकल रपट रवानगी की प्रमाणित प्रति, राज्य सरकार की अधिसूचना की प्रमाणित प्रति लेकर शामिल पत्रावली करने तथा मालखाना रजिस्ट्रर प्रदर्श पी 07 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 07ए पर उसके

हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए मुल्जिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रदर्श पी 01 के माध्यम से जो माल मुल्जिम के कब्जे से धर्मपाल मय जाप्ते के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के मुलजिम से बरामद किया गया है उस बाबत् कोई खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है तथा जो माल बरामद किया गया है वह आर्टिकल 01 के माध्यम से साक्ष्य के दौरान गवाह धर्मपाल के द्वारा प्रदर्शित कराया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। इस प्रकार प्रदर्श पी 01 के माध्यम से जो माल जप्त किया गया है वह बिना अनुज्ञापत्र के बरामद किया जाना गवाहान धर्मपाल, रामनिवास व सियाराम की साक्ष्य से प्रकट होता है तथा उक्त माल आर्टिकल 01 के रूप में गवाह धर्मपाल पी.डब्ल्यू–03 के द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पेश कर प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है, जिस बाबत् कोई खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 गवाह रामनिवास, सियाराम व अनुसंधान अधिकारी रामप्रसाद नागर के बयानों से प्रमाणित होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्ण रूप से प्रमाणित होना प्रकट होता है, इसलिए अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

18. परिणामतः अभियुक्त **लेखराज उर्फ मोटा** पुत्र प्रहलाद निवासी हाथी दीलोद थाना मोठपुर जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है तथा मुल्जिम के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–

19. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। उसके विरूद्ध प्रमाणित अपराध आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिसमें उसे तत्काल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना समीचीन हो। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का

निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

20. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को तुरंत दण्ड से दण्डित करने के बजाय परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: **दण्डादेश** ::–

21. अतः अभियुक्त **लेखराज उर्फ मोटा** पुत्र प्रहलाद निवासी हाथी दीलोद थाना मोठपुर जिला बारां राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। जिसके लिए अभियुक्त को तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– रूपये की राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करा दे कि वह इस अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश पायेगा, तब उसे परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 100/– (अक्षरे सौ रूपये) अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किये जाते हैं, उक्त राशि जमा राजकोष रहे।

22. प्रकरण में जप्तशुदा तलवार को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार जिला शास्त्रागार बारां में जमा करवा दी जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

23. निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"

NIKITA CHOUDHARY

Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY
Date: 2026.03.12 17:00:07 +0530